राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लि0,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302005

क्रमांकः ए.1(23)एच.ओ./2019
दिनाकः 20, जनवरी, 2020

परिपत्र

गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.12.2019 के अनुसार यह देखने में आया है कि आमजन द्वारा लोकसेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में की गई शिकायत पर ब्यूरो द्वारा ट्रेप कार्यवाही/परिवाद/मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की जाने पर परिवादी का सम्बन्धित विभाग में कार्य विचाराधीन रहता है। लोकसेवकों द्वारा परिवादी से द्वेषता रखते हुए उसके विचाराधीन वैध कार्य को अनावश्यक रूप से पूर्ण नहीं किया जाता है। जिससे आम जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने के लिए नकारात्मक सोच विकसित होती है, भ्रष्टाचार को बढावा मिलता है एवं आम नागरिकों में लोकसेवकों के प्रति संदिग्ध छवि बनती है, जो कदापि अनुचित है।

अतः उक्त क्रम में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में परिवादी द्वारा लोकसेवक के विरूद्ध शिकायत/ट्रेप कार्यवाही करवाने के पश्चात परिवादी के वैध कार्य को प्राथमिकता पर नियमानुसार अविलम्ब पूर्ण करने, परिवादी को अनावश्यक रूप से प्रताडित नहीं करने एवं भविष्य में उसका कार्य प्राथमिकता पर करने के निर्देश प्रदान किये जाते है।

विभागाध्यक्ष द्वारा समय–समय पर बैठक आयोजित कर ऐसे परिवादियों से संबंधित कार्यो की समीक्षा की जाएगी।

उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

(राजेन्द्र शर्मा)
सलाहकार (ए.एण्डएम.)

प्रतिलिपि

1. समस्त नियंत्रक अधिकारी
2. समस्त इकाई प्रभारी
3. नोटिस बोर्ड
4. समस्त प्रकोष्ठ
5. संबंधित पत्रावली
6. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर) को रीको वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

राजस्थान सरकार
गृह विभाग

क्रमांक : एफ 11(2) गृह–1/2019

जयपुर, दिनांक : 05.12.2019

परिपत्र

बहुधा यह शिकायतें प्राप्त होती हैं कि आमजन द्वारा लोकसेवक से अपने वैध कार्य करवाने हेतु सम्पर्क करने पर लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है। किसी व्यक्ति के द्वारा लोकसेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत करने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उस लोकसेवक के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही/परिवाद/मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है।

भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायत/ट्रेप ब्यूरो में करवाने के पश्चात् परिवादी का सम्बन्धित विभाग में कार्य विचाराधीन रहता है। ऐसा भी ध्यान में आया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की गयी कार्यवाही के कारण सम्बन्धित विभाग/कार्यालय में लोकसेवकों द्वारा परिवादी से द्वेषता रखते हुए उसके विचाराधीन वैध कार्य को अनावश्यक रूप से पूर्ण नहीं किया जाता है, सद्‌भाव पूर्ण सहयोग नहीं कर मात्र कागजी खाना पूर्ति की जाती है, तथा कई बार तो सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों द्वारा परिवादी को जानबूझकर प्रताड़ित किया जाता है, जो अत्यंत खेदजनक है। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी परिवादी का कार्य पूर्ण नहीं होता है। ऐसा होने से आम जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने के लिए नकारात्मक सोच विकसित होती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और आम नागरिकों में लोक सेवकों के प्रति संदिग्ध छवि बनती है, जो कदापि अनुचित है।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ शासन सचिव उपरोक्तानुसार आवश्यक निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रसारित करें एवं आदेश की पालना सुनिश्चित करें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में परिवादी द्वारा लोकसेवक के विरुद्ध शिकायत/ट्रेप कार्यवाही करवाने के पश्चात परिवादी के वैध कार्य को प्राथमिकता पर नियमानुसार अविलम्ब पूर्ण करें, परिवादी को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित नहीं करें एवं भविष्य में भी उसका कार्य प्राथमिकता पर किया जाये।

उक्त निर्देशों की किसी भी प्रकार की अवहेलना होने पर राज्य सरकार उसे गम्भीरता से लेगी। समय–समय पर विभागाध्यक्ष बैठक आयोजित कर ऐसे परिवादियों से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा भी करें।

(राजीव स्वरूप)
अति. मुख्य सचिव, गृह
एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त

OFFICE OF MD
RIICO LTD., JPR.
18 DEC 2019
MDR: 6884

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग, एमएसएमई, डीएमआईसी,
राजकीय उपक्रम एवं अप्रवासी भारतीय विभाग

क्रमांक :– निस/अमुस/उद्योग/2019/553-568

दिनांक: 09.12.2019

प्रतिलिपिः गृह विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.11(2)गृह–1/19 दिनांक 05.12.2019 प्रेषित कर निर्देशानुसार निवेदन है कि भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के संबंध में परिपत्र में वर्णित निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करावें।

1. Commissioner, Industries.
2. Joint Secretary, Ind. (Gr-II)
3. Department/ Commissioner DMIC
4. Deputy Secretary, Ind. (Gr-I)/State Enterprises Department/Joint Advisor (Finance)
5. All Subordinate Org./Dept.(RIICO/RFC/BIP/ RF/RSIC/RUDA/RHDC/ KVIB/HCD/ Bunkar Sangh)

(जयसिंह यादव) 9/12/19
अतिरिक्त निजी सचिव

19 DEC 2019
1201